



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20032026-271087
CG-DL-E-20032026-271087

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1364]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 19, 2026/फाल्गुन 28, 1947

No. 1364]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 19, 2026/PHALGUNA 28, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2026

का.आ. 1429(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4475(अ) दिनांक, 30 सितम्बर 2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तेलंगाना राज्य के जनगांव जिले में जनगांव-दुद्देढा रोड सेक्शन NH-365B के कि.मी. 86/160 से कि.मी. 131/730 (पूर्व चैनेज कि.मी 0.000 से कि.मी 46.400) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अदिसूचना से उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अदिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "16.10.2025" को "वेळुगु"(तेलुगु) और "द हिन्दू"(अंग्रेजी) दोनों में प्रकाशित किया गया था; और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमिसभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-365B के कि.मी. 86/160 से कि.मी. 131/730 जनगांव-दुदेडा सेक्शन(पूर्व चैनेज कि.मी. 0.000 से कि.मी. 46.400)के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: तेलंगाना			जिले का नाम: जनगांव		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: जनगाँव					
गाँव का नाम: पसारमाडला					
1	११४/२	सरकारी	ड्राय नॉन एग्रीकल्चर	0.126464	सरकारी खाली जमीन
2	११४/३	सरकारी (लैंड)	नॉन एग्रीकल्चर	1.09771	सरकारी खाली जमीन
3	११५/२	निजी (पट्टा)	नॉन एग्रीकल्चर	0.4097426	माथरू दर्शन ट्रस्ट
तालुक का नाम: बचन्नापेट					
गाँव का नाम: बचन्नापेट					
4	४९/२	सरकारी (एंडोवमेंट लैंड)	आर्द्र(कृषि भूमि)	0.197284	बंदोबस्ती भूमि, (चेन्ना केशव स्वामी टेम्पल)
5	६४/२	सरकारी (एंडोवमेंट लैंड)	ड्राय नॉन एग्रीकल्चर	0.374333	बंदोबस्ती भूमि (चेन्ना केशवा स्वामी टेम्पल)
6	८०/२	सरकारी (लैंड)	नॉन एग्रीकल्चर	0.010117	सरकारी जमीन
7	८०/२	सरकारी	ड्राय नॉन एग्रीकल्चर	0.03541	मौजूदा सड़क
Total				2.2510606	

[फा. सं. GOI MoRTH Notification No S.O.3514 (E) Dated 23-11-2016/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2026

S.O. 1429(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Gazette Notification No. S.O 4475(E) Dated on 30th September, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for **construction of (widening/two-laning with**

paved shoulders etc) Maintenance, management and operation of NH-365B in the stretch of land from Km. 86/160 to Km. 131/730 in the district of JANGAON in the state of TELANGANA

And whereas the substance of the said notification has been published in "**The Hindu** (English)" and "**Velugu** (Telugu)" Daily News Papers, both dated on **16.10.2025**, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government.

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-365B in the stretch of land from Km. 86/160 to Km. 131/730 in the district of JANGAON in the state of TELANGANA

State: TELANGANA			District: JANGAON		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Jangaon					
Village: Pasarmadla					
1	114/2	Government (Land)	Dry Non Agriculture	0.126464	Vacant Government Land
2	114/3	Government (Land)	Dry Non Agriculture	1.09771	Vacant Government Land
3	115/2	Private (Patta)	Dry Non Agriculture	0.4097426	Mathru Darshan Trust
Taluk: Bachannapet					
Village: Bachannapet					
4	49/2	Government (Endowment Land)	Wet(Agriculture land)	0.197284	Endowment land, Chenna Keshava Swamy Temple
5	64/2	Government (Endowment Land)	Dry Non Agriculture	0.374333	Endowment Land (Chenna Keshava Swamy Temple)
6	80/2	Government (Land)	Dry Non Agriculture	0.010117	Government land
7	80/2	Government (Land)	Dry Non Agriculture	0.03541	Existing Road
Total				2.2510606	

[F. No. GOI MoRTH Notification No S.O.3514 (E) Dated 23-11-2016/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director